Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
May 2024 5(5), 625–629

RAJASTHAN'S POLITICS AND WOMEN'S LEADERSHIP

राजस्थान की राजनीति और महिला नेतृत्व

Swati Pareek [1], Dr. Charu Mishra [2]

[1] Research Scholar, Apex University, Jaipur, India
[2] Assistant Professor, Apex University, Jaipur, India

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i5.2024.4269

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

ABSTRACT

English: This research paper refers to Rajasthan's politics, which mainly assesses the proper representation given to women by political parties. In the concept of sustainable development, along with the economic upliftment of all classes, the ideology of women empowerment also got strength. In this sequence, various types of schemes and programs are being run by the Rajasthan government. The priority of the central and state governments has always been the development of women. The result of which can be seen that the governments have been successful in increasing the number of women voters. But the question arises that whether the political parties which bring schemes related to women's upliftment also keep gender equality in representation. This research paper shows the representation of women in political parties through secondary data which is based on factual and qualitative levels. On the basis of the above-analyzed facts, the researcher sends many suggestions through this article which are necessary for the Indian political system.

Hindi: यह शोध पत्र राजस्थान की राजनीति के लिए संदर्भित है, जो मुख्यतः राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को दिए गए उचित प्रतिनिधित्व का आंकलन करता है। सतत विकास अवधारणा में सभी वर्गों के आर्थिक उत्थान के साथ महिला सशक्तिकरण की विचारधारा को भी बल मिला। राजस्थान सरकार द्वारा इसी क्रम में विभिन्न प्रकार की योजनाओं व कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। केंद्र व राज्य सरकारों की प्राथमिकता सदैव महिलाओं का विकास रहा है। जिसका परिणाम यह देखा जा सकता है कि महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने में सरकारें सफल रहीं हैं। किंतु प्रश्न यह उठता है कि जो राजनीतिक दल महिला उत्थान से संबंधित योजनाएं लाते हैं, क्या वे प्रतिनिधित्व में भी लैंगिक समानता रखते हैं। यह शोध पत्र द्वितीयक आंकड़ों के माध्यम जो तथ्यात्मक व गुणात्मक स्तरों पर आधारित हैं, राजनीति दलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को दर्शाते है। उपर्युक्त विश्लेषित तथ्यों के आधार पर शोधकर्ता इस लेख के माध्यम से अनेक सुझाव प्रेषित करता है जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है।

Keywords: Women Representation, Empowerment, Government Schemes, Political Parties, महिला प्रतिनिधित्व, सशक्तिकरण, सरकारी योजनाएं, राजनीतिक दल

1. प्रस्तावना

आधुनिक युग में विश्व के लगभग देशों ने लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था को ग्रहण किया है। इस व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और इन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा राजव्यवस्था का संचालन किया जाता है। शासन-प्रशासन की ये सभी प्रक्रियाएं राजनीतिक दलों की बुनियाद पर पूर्ण होती हैं। राजनैतिक दल आम जनता व सरकार के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। ये शासन व्यवस्था और सार्वजनिक नीति को आकार देते हुए जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रसिद्ध विद्वान गैटिल ने कहा कि ष्एक राजनीतिक दल संगठित उन नागरिकों का समूह होता है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और जिनका उद्देश्य मतदान की शक्ति के आधार पर सरकार पर नियंत्रण करना तथा अपनी सामान्य नीतियों को कार्यान्वित करना होता है।राजनीति एक सर्वव्यापक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समाज के लोग किसी भी रूप या स्तर पर सहभागिता करते हैं। शासन व्यवस्था का यह स्वरूप लोकतंत्र में अपनी महत्ती भूमिका रखता है। राजनीतिक दलों में महिलाओं की सहभागिता विचारणीय विषय है। दलों में महिलाओं की सहभागिता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पुरुषों की क्योंकि यह उनकी समाज में स्थिति, अधिकारों और विकास को दर्शाती है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति परिवर्तनशील रही है। पुरातन काल में स्त्री को उच्च स्थान प्राप्त था। इन्हें दुर्गा सरस्वती के रूप में पूजा गया। समय के

परिवर्तन के साथ पुरुषों ने स्त्री के कार्यों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया और और स्त्रियां घर की चार दिवारी तक सीमित रह गईं। यद्यपि भारतीय राजनीतिक इतिहास स्वतंत्रता से पूर्व व पश्चात महिलाओं की शौर्य गाथा के लिए गूंजायमान है।महिलाओं की उपलब्धियां अनगिनत है किंतु वास्तविकता के अंधकार पक्ष हैं। महिलाओं की उपलब्धियां को इंगित करते समय हमें उनकी समाज में असमानता की स्थिति को नहीं भूलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की वार्षिक रिपोर्ट में भारत के महिला विकास मापदंड को 99 वां स्थान दिया गया है, आर्थिक एवं राजनीतिक निर्णय में महिलाओं की भागीदारी के मामलों में भारत को 116 राष्ट्रों में 101 वां स्थान मिला। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार,शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार महिलाओं को दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के जीने का अधिकार है, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से लैंगिक असमानता,घरेलू हिंसा,शोषण, अत्याचार महिलाओं के लिए उत्पीड़न के लिए आज भी प्रभावी कारक है। पिछले कुछ शोध अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि महिलाओं ने भारत में ही नहीं अपितु विश्व भर में अपना एक स्थान बनाया है। सरकारों द्वारा भी इस दिशा में विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के तहत महिला सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय कार्य किए जा रहें हैं। विभिन्न सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के विकास के लिए कल्याणोन्मुखी द्वार खोले हैं। आज के आधुनिक युग में राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत मायने रखता है। लेकिन भारतीय राजनीति में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व चिंतनीय विषय है। नगरीय व पंचायती स्तर पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया,लेकिन भारतीय संसद एवं सभी राज्यों की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व अल्प है। वर्तमान सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित कर दिया गया। राजस्थान में हुए 16वीं विधानसभा के निर्वाचनों में क्या महिलाओं को देश के सबसे बड़े राजनीतिक दलों द्वारा उचित स्थान दिया गया। क्या महिला सशक्तिकरण की बातें सिर्फ चुनावी घोषणाओं की रणनीति तक सीमित है, जिससे महिलाओं की मतदाता के रूप में संख्या को बढ़ाया जा सके। उपर्युक्त विषय शोध पत्र का केंद्र विषय है।

2. अध्ययन के उद्देश्य

1) राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन राजनीती मे विभिन्न महिलाओं से संबंधित घोषणाओं की समीक्षा करना।
2) राजस्थान की विधानसभा में महिला नेतृत्व का आंकलन करना।
3) राजनीतिक व्यवस्था के लिए उचित सुझाव प्रेषित करना।

3. अध्ययन विधि

यह अध्ययन पाठ्य, मूल्यांकनात्मक, समीक्षात्मक विधियों का उपयोग करते हुए राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों व घोषणाओं एवं राजनीतिक दलों द्वारा महिला महिलाओं को दिए गए नेतृत्व के विशेष संदर्भ के साथ महिला सशक्तिकरण के एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है। शोध अध्ययन के लिए द्वितीयक स्रोतों का संकलन किया गया जिसको आधार मानकर संपूर्ण पत्र तैयार किया गया है। द्वितीयक स्त्रोत का संकलन स्वशासन विभाग की रिपोर्ट, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन,पूर्व में हुए शोध अध्ययन एवं पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन किया गया है।

4. राजनीतिक दल एवं चुनावी घोषणाएं

विश्व के सबसे बड़े तंत्र में निर्वाचन एक अपरिहार्य तत्व है। इसके अभाव में सफल शासन व्यवस्था की कल्पना करना निरर्थक है। निर्वाचन के समय विभिन्न राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा अपने विभिन्न पहलुओं, घोषणाओं का जनता के समक्ष विवेचन करने का प्रयास किया जाता है। निर्वाचन के समय संपन्न हुई जनसभाएं,अभियान- प्रविधियां, घोषणाएं, मतदान व्यवहार को प्रभावित करती हैं। सामान्यतः यह पाया गया है कि राजनीतिक दलों का उद्देश्य होता है कि वे अधिक से अधिक ऐसी घोषणाएं करें जिससे मतदान व्यवहार बढ़ाया जा सके, अतबवे समाज के हर वर्ग को प्रभावित करने वाले चुनावी वादे करते हैं। हमारी जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं हैं। मतदान व्यवहार को सबसे ज्यादा प्रभावित करने में महिलाओं का योगदान रहता है। राजस्थान में संपन्न हुए 16वीं विधानसभा के निर्वाचनों में राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा अपनी घोषणाओं में नारी सशक्तिकरण को उच्च स्थान दिया गया। जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में सशक्त महिला सुरक्षित समाज घोषणा के तहत मास्टर डिग्री तक उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मेधावी छात्राओं के लिए 12वीं पास करने पर स्कूटी वितरण योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, महिलाओं में कौशल प्रशिक्षण विकसित करने हेतु लखपति दीदी योजना, राजस्थान सशस्त्र बल के मध्य तीन महिला बटालियन की स्थापना, सबका साथ, सबका विकास कल्याण संदेश के साथ महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी लगवाना, फास्ट ट्रैक कोर्ट, प्रमुख नगरों में रोमियो स्कवाॅड का गठन प्रत्येक जिले के अंतर्गत महिला थाना में महिला डेस्क की स्थापना, आरक्षण व्यवस्था के तहत शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के वादों के साथ महिलाओं को राजस्थान की विकास यात्रा में पूर्ण भागीदारी देने का संकल्प पत्र जारी किया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान संचालित योजनाएं इंदिरा शक्ति योजना, सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना, एकल नारी सम्मान योजना, बस किराए में 50 प्रतिशत छूट, उड़ान योजना, परिवार मुखिया को हर साल ₹10,000,गृह लक्ष्मी गारंटी योजना इत्यादि घोषणाओं महिला सशक्तिकरण की दिशा में की गई। राजस्थान की राजनीति में चुनावों के समय राजनीतिक दलों द्वारा महिला मतदाताओं को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं, जिससे उनके

राजनीतिक समीकरण बदलते हैं। किंतु क्या ये राजनीतिक दल प्रतिनिधित्व में भी उतना ही महिलाओं का स्थान रखते हैं जितना वे निर्वाचनों के समय महिला संबंधित योजनाओं की घोषणा करते हैं।

5. राजस्थान में महिला नेतृत्व

प्रजातंत्र की परिपक्वता और उस प्रजातंत्र की रीढ़ निर्वाचन में महिलाओं की सहभागिता व प्रभावकारिता का एक आवश्यक संकेतक है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था की वास्तविक सफलता व संचालन के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों की समान सक्रियता हो। महिलाओं की समस्याओं के निराकरण एवं उनकी रक्षा के लिए कानून,विकास संबंधी नीतियों,निर्णय, उनके विचारों और दृष्टिकोण के अनुकूलन के लिए महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता आवश्यक है। भारत की राजनीति में महिलाओं की सहभागिता प्रथम आम चुनाव से अब तक की स्थिति का विश्लेषण किया जाए तो सत्ता में सहभागिता बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने हेतु आरक्षण व्यवस्था को एक क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है। महिला नेतृत्व एवं विकास के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने पंचायती स्तर पर महिला आरक्षण को एक-तिहाई से बढ़कर 50 प्रतिशत तक कर दिया । प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में यह सराहनीय कदम है। जहां नारी शब्द आ जाता है वहां दायित्व व समर्पण शब्द उभर के आते हैं। क्योंकि नारी न केवल सृजन करती है अपितु प्रत्येक कार्य को उचित रूप से करने का प्रयास भी करती है। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारों द्वारा समय-समय पर संवैधानिक प्रावधान किए गए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि यह संशोधन व आरक्षण मात्रा स्थानीय संस्थाओं तक सीमित हैं। यद्यपि महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद देश की संसद व राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए वह स्थान सुनिश्चित हो गया जो स्थानीय प्रशासन में 1993 में हुआ था। अधिनियम पारित तो हो गया किंतु लागू कब होगा इस पर संशय है । महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या महिलाएं उचित नेतृत्व कर सकती हैं? क्या महिलाएं जीतने योग्य उम्मीदवार साबित होती हैं? क्या राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है? सामान्यतः यह देखा गया कि वहीं महिला उम्मीदवार निर्वाचन राजनीति में आती हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक हो। राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनाव में जिन महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया उनका प्रतिशत 8.24 था और उनमें से जीतने वाली महिलाओं का प्रतिशत 12 रहा था। महिला सशक्तिकरण के लिए राजनीतिक दलों द्वारा लंबे- चैड़े दावे तो किए जाते हैं लेकिन जब टिकट वितरण का समय आता है तो उन्हें हक नहीं मिलता। शासन प्रशासन के कार्यों में यदि महिलाओं को हिस्सेदारी मिलती है तो उन पर होने वाले अत्याचारों में भी कमी आएगी।

वर्ष	कुल सीट	महिला विधायक
1952	140	0
1957	136	7
1962	176	8
1967	184	6
1972	184	4
1977	200	7
1980	200	10
1985	200	16
1990	200	11
1993	200	9
1998	200	14
2003	200	12
2008	200	28
2013	200	28
2018	200	24
2023	200	20

उक्त तालिका 1952 से लेकर 2023 तक राजस्थान में संपन्न हुए विधानसभा निर्वाचनों में महिला प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं किंतु महिला प्रतिनिधित्व कम है। वर्तमान समय में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी से 9 ,भारतीय जनता पार्टी से 9 तथा 2 निर्दलीय महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। 2013 व 2008 में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व रहा लेकिन कुल प्रतिनिधित्व फिर भी कम था। महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजस्थान की विधानसभा में पुरुषों की अपेक्षा काफी कम है इसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है।

6. सुझाव

राजस्थान के निर्वाचन राजनीति और महिला प्रतिनिधि के अध्ययन द्वारा पाया गया कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त लैंगिक समानता पर आधारित अधिकार महिलाओं को प्राप्त होने के उपरांत भी राजनीति में महिलाओं के समक्ष कई समस्याएं हैं। जिनके निदान हेतु कड़े नियम व प्रशासनिक, व्यावहारिक तथा संस्थागत स्रोतों पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है,अतः इस विषय पर निम्न सुझाव सहायक हो सकते हैं।

- राजनीतिक दलों द्वारा जो वादे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किए जाते हैं उन्हें निर्वाचन होने के पश्चात पूर्ण किए जाएं।
- महिला सशक्तिकरण हेतु शिक्षा व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए।
- निर्णय निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका रखते हुए उनके द्वारा दिए गए सुझावों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए।
- राजनीतिक दल उम्मीदवार के चयन में महिला प्रतिनिधित्व को महत्व दें।चुनाव जीतने योग्य सीटों पर महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान करें।
- महिलाओं को समाज कल्याण व बाल विभाग मंत्रालय जैसे विभागों के साथ अन्य विभागों का दायित्व भी देना चाहिए।
- राजनीतिक दल स्थानीय महिला नेताओं को प्रोत्साहित व समर्थन देकर राजनीति में उनके स्थान व प्रतिनिधित्व को बढ़ा सकते हैं।
- समाज में महिलाओं के प्रति राजनीतिक परिवर्तित दृष्टिकोण लाने की आवश्यकता है,क्योंकि महिलाएं भी समाज की प्रबुद्ध नागरिक हैं। इस सामाजिक परिवर्तन के लिए जनसंपर्क संसाधनों जैसे-टीवी,समाचार पत्र,विचार गोष्ठियां, चर्चाओं का प्रयोग कर समाज में महिलाओं के प्रति स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया जा सकता है।
- 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को स्थानीय आरक्षण प्राप्त है। इसी क्रम में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित तो हो गया किंतु इसे शीघ्र ही लागू भी किया जाना चाहिए। जिससे राज्य की विधानसभाओं व संसद में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।
- महिलाओं के समक्ष सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को देखते हुए राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव लड़ने व भागीदारी करने में सरकारों को और अधिक प्रभावी ढंग से पूरक बनाने के लिए सकारात्मक नीति पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।
- सरकारों द्वारा महिलाओं से संबंधित अनेक योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन्हीं योजनाओं को उचित रूप में लागू किया जाए तो महिलाओं का पूर्ण विकास संभव हो सकता है किंतु इसमें बाधक कारक भ्रष्टाचार,जनता की अज्ञानता व निरसता है। सरकारों द्वारा इन पर नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता है ।

7. निष्कर्ष

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि महिलाएं स्वयं अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो तथा समाज में अपनी सशक्त भूमिका निभाएं। राजनीतिक दलों व सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों का नेतृत्व संचालन किया जा रहा है किंतु महिलाएं स्वयं अपने अधिकारों की रक्षा करेंगी तभी राजनीति में अपना स्थान बना पाएंगी। राजस्थान कीं विधानसभा में महिलाओं के को प्रभावित करने वाले कारकों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि मतदाता के रूप में तो संख्या बढ़ी है किंतु प्रतिनिधित्व में कमी पाई गई है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि विधानसभा में आरक्षण के रूप में सकारात्मक राजनीतिक दलों और सरकार में निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका देश की राजनीति में एक गंभीर समस्या को हल करने का एक रास्ता तय करेगी।वर्तमान समाज में किसी भी वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत महत्व रखता है लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति में महिलाओं का नेतृत्व बहुत कम है। नारी सशक्तिकरण स्वयं में एक लक्ष्य नहीं अपितु असमानता पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था में प्रभावकारी बदलाव के उद्देश्य को खोजने का एक साधन माना जा सकता है।

संदर्भ

अग्रवाल,सरोज (2020) महिला अधिकारिता और सुरक्षा, साहित्य प्रकाशन, जयपुर पृ.15
अरोड़ा, शशि (1981) राजस्थान में नारी की स्थिति,तरुण प्रकाशन, बीकानेर
शर्मा,अरुण (2015) राजनीति विज्ञान,अरिहंत पब्लिकेशंस,इंडिया लिमिटेड
शर्मा,अशोक (1984) भारत में लोकतंत्र और निर्वाचन, अनुसंधान व विषय अध्ययन संस्थान ,जयपुर
सिंहल,एस.सी. (2006) राजनीतिक विचारधाराएं लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा
जैन,पुखराज एवं बाजपेयी,अरुणोदय(2022) अधिकारों व कानून की जागरूकता,साहित्य भवन पब्लिकेशन,आगरा
विजय, संगीता (2011) महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एक तुलनात्मक अध्ययन, नवजीवन पब्लिकेशन निवाई, राजस्थान

मिश्रा,अनंत (25.9.2023) क्या टिकटों में होगा श्नारी वंदनश्, राजस्थान पत्रिका, पृ.1
सारस्वत, रितु (9.10.2023) टिकट की दौड़ में पीछे क्यों जाती है महिलाएं राजस्थान पत्रिका, पृ.6
चंद्र कुलिश, कर्पूर (20.9.2023) महिलाओं को पूरा हक दे राजनीतिक दल, राजस्थान पत्रिका, पृ. 6
शर्मा,अरुण (2015) राजनीति विज्ञान, अरिहंत पब्लिकेशंस,इंडिया लिमिटेड
राजस्थान निर्वाचन आयोग
वार्षिक प्रतिवेदन ग्रामीण विकास विभाग,राजस्थान-जयपुर।
ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए योजनाएं,राजस्थान सरकार